राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

बैठक कार्यवाही विवरण

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों (नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टैक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेन्टल टैक्नीशियन, ईसीजी टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक) की सीधी भर्ती (वर्ष–2023) राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (शिफू) के माध्यम से करवाई जा रही है। इन भर्तियों के संबंध में चिन्हित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने बाबत् एवं विभागीय पत्रावली पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान राय के अनुसार नीति–निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 27.02.2024 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में मधायन्ह् 02:30 बजे आयोजित की गई।

बैठक में अग्रांकित अधिकारियों (अथवा नामित प्रतिनिधि) द्वारा भाग लिया गया :–

1	प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय	सदस्य
2	विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.एल.	सदस्य
3	संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग	सदस्य
4	निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य सचिव
5	कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि (संयुक्त शासन सचिव स्तर)	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
6	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
7	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान	सदस्य
8	रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर	सदस्य
9	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित/प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
10	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित/प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
11	अधीक्षक सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
12	उप विधि परामर्शी (शासन सचिवालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
13	उप विधि परामर्शी (निदेशालय मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
14	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर– प्रथम	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य
15	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर– द्वितीय	विशिष्ट आमंत्रित सदस्य

क्रम संख्या	नीतिगत निर्णय संख्या	विचारणीय बिन्दु	वस्तुस्थिति	समिति का निर्णय
1	45	नीति निर्धारण समिति की पूर्व बैठक दिनांक 03.11.2023 में लिये गये नीतिगत– निर्णय संख्या 35 जो उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार/आई.ओ.ए. को विशेष वाहक के माध्यम से पत्र भिजवाकर शीघ्र सूचना प्राप्ति के प्रयास किये जायें के अनुरूप उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार/आई.ओ.ए. को विशेष वाहक के माध्यम से पत्र भिजवाकर शीघ्र सूचना प्राप्ति के प्रयास किये गये थे किन्तु सूचना अप्राप्त है।	चूंकि पुनः चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है अतः यदि सूचना आने तक इंतजार किया जाता है तो सम्बन्धित कैडर जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी मे आवेदक हैं की अंतिम चयन सूची आचार संहिता के बाद ही जारी हो पायेगी। इसलिये प्रस्तावित है कि माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र बेनिवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 (22.11.2023) के बिन्दु संख्या 15 के अनुरूप नीतिगत निर्णय लिया जाकर ऐसे अभ्यर्थियों का भर्ती परिणाम, जिन्होने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में आवेदन किया है, सत्यापन की सूचना आने तक रोक लिया जावें एवं यदि इस सम्बन्ध कोई रिट याचिका अथवा परिवेदना प्राप्त होती हैं तो माननीय न्यायालय व सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस तथ्य से अवगत करा दिया जाये।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
2	46	नीति निर्धारण समिति की पूर्व बैठक दिनांक 3.11.2023 में प्रस्तुत प्रस्ताव– ***"चुनाव आचार संहिता के पूर्णरूप से निष्प्रभावी होने के उपरान्त दिनांक 5.12.2023 से अनुभवी अधिकारी/कर्मचारियो की राज्यवार टीमें भेजकर सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा"*** एवं इसपर लिये गये निर्णय– ***"वस्तुस्थिति अनुसार अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की अंकतालिकाओं के सत्यापन/प्रमाणीकरण हेतु राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार को निदेशालय के अनुभवी कार्मिकों की राज्यवार टीमें भेजकर शीघ्र सूचना प्राप्ति के प्रयास किये जायें। साथ ही भेजी जाने वाली टीमों को उचित प्रशिक्षण देकर संबंधित संस्थान स्तर से स्वयं की देखरेख में सूचना का प्रमाणीकरण करवाने का भी प्रयास किया जाये"***, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिचयात्मक बैठक के क्रम में जारी मिनट्स एवं सी.एम.आई.एस. पर जारी निर्देश पर स्पष्ट मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से चाहा गया था जो पत्रावली पर दिनांक 21.2.2024 को प्राप्त हुए। अत इनपर तत्समय	अन्य राज्यों से व्यावसायिक योग्ता प्राप्त अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं पर विचार करने हेतु इनकी योग्यता का संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से सत्यापन/प्रमाणीकरण अंतिम चयन सूची जारी करने से पूर्व कराया जाना आवश्यक है। चूंकि पुनः चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है अतः यद्यपि जांच कार्य हेतु संबंधित राज्यों को टीम भेजी जा चुकी है तथापि यदि सूचना आने तक इंतजार किया जाता है ये 3 कैडरों की अंतिम चयन सूची आचार संहित के बाद ही जारी हो पायेगी। इसलिये प्रस्तावित है कि माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र बेनिवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 (22.11.2023) के बिन्दु संख्या 15 के अनुरूप नीतिगत निर्णय लिया जाकर ऐसे अभ्यर्थियों का भर्ती परिणाम, जिनकी व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से प्राप्त की हुई है, सत्यापन की सूचना आने तक रोक लिया जावे एवं यदि इस सम्बन्ध कोई रिट याचिकाएं अथवा परिवेदनाएं प्राप्त होती हैं तो माननीय न्यायालय व सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस तथ्य से अवगत करा दिया जाये।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित। उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय भर्ती हेतु आवेदनों से शीफू को प्राप्त राशि में से किया जाये तथा दूर दराज के प्रान्तों हेतु हवाई यात्रा की अनुमति भी यदि आवश्यक हो तो प्रदान की जाये।

		कार्यवाही संभव नहीं हो पाई है। इस हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक 105 दिनांक 22.02.2024 द्वारा नेत्र सहायक, ईसीजी टैक्नीशियन व डेन्टल टैक्नीशियन के अन्य राज्यों से प्राप्त व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिकाओं की जांच हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जा चुके है।		
3	47	अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन– पूर्व में राज्य सरकार के आदेशों से अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन बाबत विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसके क्रम में दिनाक 24.2.2024 व 26.2.2024 को संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारीयों को मय रिकॉर्ड के बुलवाया जाकर जांच की कार्यवाही का प्रयास किया गया किन्तु बडी संख्या में अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर्ता अधिकारियों द्वारा इस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जाने के कारण यह कार्य निर्धारित दिनांक को पूर्ण नहीं हो पाया।	चूंकि चुनाव आचार संहिता शीघ्र लागू होना संभावित है। अतः सम्बन्धित कैडर जिसके आवेदकों के अनुभव सत्यापन का कार्य बकाया है बाबत प्रस्तावित है कि माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र बेनिवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2023 (22.11.2023) के बिन्दु संख्या 15 के अनुरूप नीतिगत निर्णय लिया जाकर ऐसे अभ्यर्थियों का भर्ती परिणाम जिनका अनुभव सत्यापित नहीं हो पाता है को वर्तमान में देय अनुभव के आधार पर चयनित होने की स्थिति में रोकते हुये व बाद में अनुभव प्रमाणपत्र के सत्यापन के अध्याधीन जारी किया जाये। यदि बाद में अभ्यर्थी को दिया गया अनुभव सत्यापन उपरान्त देय नहीं रहता हैं तो माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुरूप एक स्पीकिंग आदेश के माध्यम से ऐसे अनुभव के लाभ को खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
4	48	नीति निर्धारण समिति की पूर्व बैठक दिनांक 03.11.2023 में लिये गये निर्णय– "अतः **इस हेतु समस्त अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को इस बाबत् पृथक से पुर्नसत्यापन हेतु परिशिष्ट जारी किया जाकर उन्हें दिनांक 10.12.2023 तक उनके द्वारा जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्रों में दर्ज की गई सूचना को पुनः दर्ज करने का अवसर प्रदान किया जाये। तत्पश्चात अनुभव प्रमाण पत्रों की गहराई से जांच करने हेतु शीफू में कैम्प लगाकर, अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारियों को रिकार्ड संहित बुलवाये जाने का कार्य दिनांक 11.12.2023 से 31.01.2024 तक किया जाये..** ..... **एवं पुर्नप्रमाणीकरण परिणाम के अनुसार प्रोविजनल मेरिट सूची को संशोधित कर ही अंतिम चयन सूची जारी किया जाना यथोचित होगा....... विभाग द्वारा स्वयं के स्तर**	1. प्रकरण रिट यचिका संख्या 15769/2023 बलराम बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2023 के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि– याचिकाकर्ता श्री बलराम ने सचिव, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद व निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार के हस्ताक्षर से जारी प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट क्रम संख्या 1638 प्रस्तुत किया है जिसमें ट्रेड का नाम डेन्टल लेबोरेट्री टैक्नीशियन दर्शाया गया है एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रस्तुंत किया जिसमें ट्रेड का नाम MECHANIC DENTAL LABORATORY TECHNICIAN/EQUIPMENT दिया गया है। नियमानुसार डेन्टल टैक्नीशियन पद हेतु योग्यता डेन्टल हाइजीन अथवा डेन्टल मेकेनिक का दो वर्षीय कोर्स है। अतः नियमानुसार योग्यता नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है।	समिति द्वारा उक्त तीनों प्रकरणों में निहित कंट्रोवर्सी पर विचार विमर्श करने के उपरान्त कंसीडर्ड डिसीजन लिया जाता है कि:– 1) प्रार्थी श्री बलराम के पास नियमानुसार डेन्टलं टैक्नीशियन पद हेतु योग्यता डेन्टल हाइजीन अथवा डेन्टल मेकेनिक 2 वर्षीय कोर्स की नहीं है। अतः

		पर अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में किये जाने वाले कार्य के संबंध में श्रीमान् महाधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय को भी सूचित किया जाये'' के कम में महाधिवक्ता महोदय द्वारा माननीय न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया जिसके उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र बेनिवाल बनाम सरकार में अपना निर्णय दिनांक 16.11.2023 (22.11.2023) को पारित किया जिसके बिन्दु संख्या.15 के कम में निम्नानुसार प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की जानी है– **1.** प्रार्थी श्री बलराम ने माननीय न्यायालय में दायर एस.बी. यचिका संख्या 15769/2023 बलराम बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की योग्यता के समान योग्यता रखने वाले डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों जिन्हें वर्ष 2016 की स्थायी भर्ती में दंत टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति दी गई थी, के समान होने के कारण याचिकाकर्ता को भी दंत तकनिशियन के पद पर नियुक्ति दी जावें। **2.** प्रार्थी श्री सोहेल शेख द्वारा माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 17210/2023 सोहेल शेख बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 की प्रति सलंग्न कर निवेदन किया है कि उनकी प्रार्थना विज्ञापित पद नेत्र सहायक भर्ती हेतु स्वीकार की जावें। **3.** प्रार्थी श्री विनोद कुमार द्वारा माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 18351/2023 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2023 की प्रति सलंग्न कर निवेदन किया है प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करने की कृपा की जावे।	अतः याचिकाकर्ता श्री बलराम का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। 2. रिट याचिका संख्या 17210/2023 सोहेल शेख बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2023 के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति यह है कि– अभ्यर्थी का राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण दिनांक 16.08.2023 को किया गया है जो कि भर्ती में आवेदन करने की तिथि अथवा उससे पूर्व का नहीं होने के कारण अभ्यर्थी नेत्र सहायक भर्ती 2023 में पात्रता की श्रेणी में नही आता है। अतः याचिकाकर्ता श्री सोहेल शेख का अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। 3. रिट याचिका संख्या 18351/2023 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2023 के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति यह है कि– अभ्यर्थी श्री विनोद कुमार ने दंत तक्नीशियन भर्ती 2023 हेतु सामान्य श्रेणी मे आवेदन किया जिसका आवेदन शुल्क भी सामान्य श्रेणी का ही भुगतान किया। एवं अपनी श्रेणी में संशोधन हेतु त्रुटि संशोधन का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी संशोधन नहीं किया। इसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी अभ्यर्थी द्वारा न तो कोई नवीन जाति प्रमाण प्रस्तुत किया ना ही इस बाबत कोई शपथपत्र प्रस्तुत किया एवं वर्तमान तक भी अभ्यर्थी द्वारा 24.2.2020 को जारी ओबीसी (गडरिया/गाडरी वर्ग) का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय पत्रावली–22876 पर दिनांक 19.10.2023 को दी गई राय के अनुसार जिस अभ्यर्थी के पास संबंधित जाति का प्रमाण पत्र नहीं है एवं अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया है, वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रविष्टियों में सुधार के नाम पर अपनी श्रेणी नहीं बदल सकते हैं के अनुसार अभ्यर्थी की परिवेदना अस्वीकार कर निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। श्रेणी परिवर्तन की मांग को याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2019 को निर्णय पारित कर खारिज किया जा चुका है।	नियमानुसार योग्यता नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। 2) अभ्यर्थी श्री सोहेल शेख का राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण दिनांक 16.08.2023 को किया गया है जो कि भर्ती में आवेदन करने की तिथि अथवा उससे पूर्व का नहीं होने के कारण अभ्यर्थी नेत्र सहायक भर्ती 2023 हेतु पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। 3) अभ्यर्थी श्री विनोद कुमार का अभ्यावेदन कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त राय के अनुसार एवं याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2019 के अनुसार स्वीकार्य योग्य नहीं है। उक्त तीनों प्रकरण किसी भी रूप में अनुभव

				का लाभ दिये जाने से संबंधित नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से याचिकाकर्ता श्री बलराम, श्री सोहेल शेख एवं श्री विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
राजस्थान सरकार

प्रबन्ध निदेशक,
आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय

विशेषाधिकारी,
आर.एम.एस.सी.एल., मुख्यालय

संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

परियोजना निदेशक
एन.एच.एम, मुख्यालय

रजिस्ट्रार,
राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

उप विधि परामर्शी,
चि.एवं स्वा. विभाग,
शासन सचिवालय

उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय

विशिष्ट आमंत्रित

विशिष्ट आमंत्रित

विशिष्ट आमंत्रित

विशिष्ट आमंत्रित

Dr Hansra
CMHO II